

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या
275 / 2020

रजू दिनांक
21.10.2020

पर्चा डिक्री दिनांक
22.01.2021

उनवान

1 करतारसिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति रायसिंख निवासी पीपली तहसील मुण्डावर,
जिला अलवर राज. —: वादी

बनाम

- 1 शिवलाल पुत्र श्री बिल्लू जाति कंजर
- 2 अमरसिंह पुत्र बुधराम जाति कंजर
- 3 विक्रम पुत्र श्री अमर जाति कंजर निवासी पीपली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज.) —: प्रतिवादीगण
- 4 गुरुदयाल सिंह पुत्र श्री शेरसिंह
- 5 भगवानकौर पत्नी श्री कृपाल सिंह जातियान रायसिंख निवासीयान पीपली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
- 6 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद जाति अहीर निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

दावा:- हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधि0

पर्चा डिक्री

दिनांक 22.01.2021

वादी की ओर से श्री अशोक चौधरी एडवोकेट की व प्रतिवादी की ओर से श्री विक्रम सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2021 को रामसिंह राजावत सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 422 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर में प्रतिवादीगण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजामत पैदा ना करे ना ही निर्माण करे। खर्चा अपना-अपना वहन करें।

यह आज यह पर्चा डिक्री तारीख 22.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

22.1.21
(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0
मुण्डावर (अलवर) राज0